

श्रीमान जी,  
 पटवारी रिपोर्ट  
 जांच की गई प्रती संदान के द्वारा ठाविल किया गया है जिसमें प्रती अपने पिता का नाम श्री पुत्र जयदेव (पति) करवाना चाहता है जहाँकी राजरव रिपोर्ट में श्री पुत्र माधु दर्ज है तथा प्रती के आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज के मूल्य प्रमाण पर श्री पुत्र जयदेव दर्ज है व पारितोष जांच रिपोर्ट में भी श्री पुत्र जयदेव दर्ज है प्रती द्वारा अपने एक में तीन पत्नीदार के शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं।  
 पर. (क्रावाड)

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट  
 भूगणित रिपोर्ट पटवारी के प्रती द्वारा पुत्र ~~जयदेव~~ को बिना किसी प्रमाण के द्वारा पुत्र जयदेव करवाना चाहता है, बिना किसी प्रमाण के शुद्ध किया जाना संभव नहीं है।  
 पुनः प्रती ने अपने पुत्र में तीन पत्नीदार के जांच के लिए 10.10.25  
 पर. (क्रावाड)

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 पं. ए. की रिपोर्ट व भू. अ. नि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती का जानने की अनिश्चिता की जाती है।

2025  
 765  
 क्रमांक / 423

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद  
 दिनांक:- 16-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसार मेे ग्राम ... तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संभवतः ... के खाता संख्या ... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	पुत्र 201 के	2-5-64	दुरुस्ती	सिद्ध नहीं होने के कारण		
	पुत्र 201	201	...	...		

क्रमांक :- 575051

प्रतिलिपि :- 1) तहसीलदार नसीराबाद को पालिका

दिनांक :- 16-10-25

प्रमारी अधिकारी एवं उपरखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर

